प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि रा.रा.क्षे. दिल्ली की विधान सभा के समक्ष रखा जा सके। इस प्रतिवेदन में दो अध्याय हैं।

इस प्रतिवेदन का ***अध्याय-I*** सरकार के राजस्व क्षेत्र के विभागों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन का ***अध्याय-II*** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभागों की लेखापरीक्षा से संबंधित है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण वे हैं जो वर्ष 2022-23 के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान दृष्टिगत हुए और साथ ही वे भी मामले शामिल हैं जो पिछले वर्षों में देखे गए थे, परंतु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे। जहाँ भी आवश्यक था, 2022-23 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।